

UTTAR PRADESH SHASAN
KRISHI SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN ANUBHAG

-2-

In the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 2473/67-KSA-2016-900(2)/2010, dated December 29, 2016

NOTIFICATION

No.2473/67-KSA-2016-900(2)/2010,
Lucknow: Dated December 29, 2016

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 1 of the Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology And Sciences, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. Act no. 35 of 2016) the Governor is pleased to appoint December 29, 2016 as the date on which the said Act shall come into force.

By Order

Rajneesh Gupta,
Pramukh Sachiv

No.2473(1)/67-KSA, On dated

Copy forwarded for information and necessary action to :

- 1- Secretary, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, New Delhi.
- 2- Secretary, Ministry of Agriculture, Govt.of India, New Delhi.
- 3- Secretary, DARE, and Director General, ICAR, New Delhi.
- 4- Secretary, University Grants Commission, New Delhi (With a copy of the Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Act 2016).
- 5- Secretary, All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.) Government of India, New Delhi.
- 6- Secretary General, Association of Indian Universities, New Delhi.
- 7- Chief Secretary, Uttar Pradesh government, Lucknow.
- 8- Agriculture Production Commissioner, UP Government, Lucknow
- 9- Principal Secretary, Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow.
- 10- Principal Secretary, Legislative Council, Uttar Pradesh, Lucknow.
- 11- Principal Secretary to Hon'ble Governor, Uttar Pradesh.
- 12- Principal Secretary to Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

- 13- Principal Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- 14- Principal Secretary, Higher Education Department, UP Government, Lucknow.
- 15- Principal Secretary, Technical Education Department, UP Government, Lucknow.
- 16- Principal Secretary, Department of Justice, Government of Uttar Pradesh, Lucknow..
- 17- Principal Secretary, Minority Welfare Department, UP Government, Lucknow.
- 18- Principal Secretary, Legislative Department, UP Government, Lucknow.
- 19- Director General, UPCAR, Lucknow.
- 20- Most. Rev. Prof. (Dr.) Rajendra B. Lal, Vice-Chancellor, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University), Allahabad.
- 21- Executive Secretary, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Higginbottom House, 4-Agricultural Institute, Allahabad-211007.
- 22- Prof. (Dr.) Ranjan. A. John. Treasurer, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Higginbottom House, 4-Agricultural Institute, Allahabad-211007.
- 23- Registrar, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University), Allahabad.
- 24- Finance Controller, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University), Allahabad.
- 25- Commissioner / District Magistrate. Allahabad.
- 26- Vice-Chancellors of All Universites, U.P. / India.
- 27- Joint Director, Government Press, Aishbagh, Lucknow transmit that notification to this effect, including the 02 extra per Extraordinary Gazette published in the upcoming issue of making his Shaasn may provide 25 copies.
- 28- Guard File.

By Order



(Shiv Ram Tripathi)
Sanyukt Sachiv

अधिसूचना

इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी अर्थात सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007 द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद को उच्चकृत एवं पुनर्गठित करने हेतु राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को श्री राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान की है और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1867/79-वि.-1-16-1(क)36/2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रश्नगत अधिनियम की धारा 1(2) के अंतर्गत प्रश्नगत अधिनियम को दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 से लागू किये जाने की अधिसूचना संख्या-2473/67-कृशअ-16-900(2)/10, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 निर्गत कर दी गयी है।

2- प्रकरण में श्री राज्यपाल महोदय, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 की धारा-6(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रशासन एवं संचालन करने हेतु एतद्वारा प्राधिकार-पत्र निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव।


सं०-2474(1)/67-कृशअ-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2) सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3) सचिव एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 4) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5) सचिव, अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, (ए.आई.सी.टी.ई.), भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।

- 7) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 8) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 9) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 13) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 14) प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 15) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 16) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 17) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 18) प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 19) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
- 20) मोस्ट रेव्ह. (प्रोफेसर) राजेन्द्र बी.लाल, कुलपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
- 21) कार्यकारी सचिव, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद - 211007।
- 22) प्रो. (डा.) रंजन ए. जौन, ट्रेजरर, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद - 211007।
- 23) कुलसचिव, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
- 24) वित्त नियंत्रक, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
- 25) मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- 26) कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश / भारत सरकार।
- 27) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दो अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 28) गार्ड फाईल।

आज्ञा से।


(शिवराम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 2016) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को ऐसे दिनांक के रूप में नियत करते हैं जिस पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव।


सं0-2473(1)/67-कृशिअ-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली (सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 की 01 प्रति सहित)।
5. सचिव, अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, (ए.आई.सी.टी.ई.), भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

14. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
20. मोस्ट रेव्ह. (प्रोफेसर) राजेन्द्र बी.लाल, कुलपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
21. कार्यकारी सचिव, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद- 211007।
22. प्रो. (डा.) रंजन ए. जौन, ट्रेजरर, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद- 211007।
23. कुलसचिव, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
24. वित्त नियंत्रक, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद।
25. मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
26. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश / भारत सरकार।
27. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दो अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
28. गार्ड फाईल।

आज्ञा से।


(शिवराम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।